



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/020922/653567

प्राप्ति का नाम एवं पता

OWNERS Name & Address

1) Sudhan kumar Dutta 2) Anil Dutta
 Alias Sunil Dutta, 3) Sushil Kumar Dutta
 32, Durganagar Station Road,
 Lokenathbhavan, P.O- Rabindranagar,
 P.S-Nimta, Kolkata-700065

दिनांक/DATE: 21-02-2022

वैधता/ Valid Up to: 20-02-2030

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

इस अनुमति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदल दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं
 उपयोगी विमान पर्चालन हेतु भारत सरकार (गांगर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30
 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा राशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and
 under the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015
 intended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनुमति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	KOLK/EAST/B/020922/653567
प्राप्ति का नाम / Applicant Name*	Rana Dey
स्थान का पता / Site Address*	Mouza- Sultanpur, J.L No-10, R.S No-148, Touzi No-173, R.S Khatian No-480, R.S Dag No- 92, Ward No-21, Holding No-32(211), Station Road, P.S-Nimta, Under North Dum Dum Municipality, Dist-24PGS (N),BIRATI,Kolkata,West Bengal
स्थान के निर्देशांक / Site Coordinates*	22 38 59.9N 88 25 02.69E, 22 39 00.61N 88 25 03.06E, 22 38 59.75N 88 25 03.09E, 22 39 00.52N 88 25 03.37E
उठन की ऊँचाई एमएसएल मीटर में (ओसतन रामुद्र तल में से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Elevation in mtrs AMSL as submitted by applicant*	9.45 M
मान्य अधिकतम ऊँचाई एमएसएल मीटर में (ओसतन तल से ऊपर) * Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	28.95 M



AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/020922-5

जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

)) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है:-

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकारी ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates or site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, a NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and other structures etc.) Rules, 1994”.

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र पर उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करें कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामलों में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the site view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with a lessee or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए प्यम एस एल) से स्थल वी को घटाकर की जायेगी। अर्थात् संरचना की अधिकतम ऊँचाई - अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल वी ऊँचाई d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height - Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एवट 1934, के सौक्षण्य 9-8 तथा इसके अंतर्गत समय 1994 पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन हैं।

e. The issue of the "NOC" is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/020922/653567

कोई भी रेडियो/टीवी एन्टीना, लाइटिंग अरेस्टर, सीडिया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

No radio/TV Antenna, lightening arresters, stairease, Mumty, Overhead water tank or any other object and fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए को खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए।

The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

मृत्तक के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं किया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटो के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के संलग्नत प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

Light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी दर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

The applicant will not complain claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

दैनांशिक तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgea.nic.in द्वारा) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट 1 सैक्षण-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट विमानिन्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DCA India website: www.dgea.nic.in

मृत्तक के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की अनीदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन निश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वागतिक आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता।

The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.



AIRPORTS AND HOTELS

iii) Application for NOC:

- n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule - V of GSR 751 E amended by GSR 770(E). As per rule 13 of GSR amended by GSR 770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for a which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule - V (Part-2) other than the airports) of GSR 751 E amended by GSR 770(E).

੫) ਅਨਾਪਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਤਰ (ਅਨਾਪਤਿ) ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ/ਗੁਪਤ ਕੀ ਬਿਹਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਰਘੀ
੬) In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या रसना की ऊँचाई के लिए यह प्रकाद में अनुमति नहीं की जाएगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height / Pending Top Elevation AMSL, shall prevail.

24/22

25

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/020922/653567

क्षेत्र का नाम / Region Name: पूर्व/EAST

दस्तावेजित अधिकारी/Designated Officer

पूर्ण पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर
Name Designation/Sign with date

राजेन्द्र सिंह लहोंडिया / R S Lahauria
 महाप्रबंधक (एटीएम) एवं General Manager/ATM, ER
 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
 नेशनल सेक्युरिटी एयरपोर्ट / NSCBP Airport
 कोलकाता / Kolkata 700052

क्रान्ति तैयार Prepared by

ABASK
21-02-22

तात्त्वजोग्य जांचा गया Verified by

(Ghoshalay)

21.02.22

ईमेल आईडी / EMAIL ID : gmatmer@aaai.aero


फोन / Ph: 033-25111293

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Behala	20292.11	38.13
Kolkata	3022.61	261.4
NOCID	KOLK/EAST/B/020922/653567	

No 4 (V)



भारतीय विमानपरिवहन प्रबंधन
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

KOLK/EAST/B/020922/001

Street View

Drone Flight



Satellite View

